8 NOV 2016
समाहरणालय, दरभंगा
प्राप्ति सं0....../......
दिनांक....../......
कार्यालय......
जिलाधिकारी

बिहार सरकार
मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना

(लोक संवाद कार्यक्रम)

का0आ0 सं0–स्था0–60 / 2016– 394 मु0मं0स0, पटना, दिनांक – 23-11-2016

लोकहित में सरकार की नीतियों कार्यक्रमों एवं योजनाओं के संबंध में नागरिकों से प्राप्त रचनात्मक सुझाव के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रशासनिक व्यवस्था, नीतियों एवं कार्यक्रमों में यथाआवश्यक सवर्द्धन करने के उद्देश्य से ''लोक संवाद कार्यक्रम'' प्रारंभ किया गया है।

''लोक संवाद कार्यक्रम'' का आयोजन मुख्यमंत्री आवास, 1 अण्णे मार्ग, पटना या मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन, पटना या अन्यत्र (पटना अथवा पटना से बाहर), माह के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सोमवार को (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) किया जायेगा।

(i) <u>प्रथम सोमवार</u>– आधारभूत–संरचना एवं उद्योग (सड़क, भवन, बिजली, पेयजल, सिंचाई, उद्योग आदि) से संबंधित विषयों पर सुझाव। इन विषयों से संबंधित पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, उद्योग, गन्ना उद्योग, विज्ञान प्रावैधिकी, सूचना प्रवैधिकी, पर्यटन विभागों के माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव / सचिव उपस्थित रहेंगे।

(ii) <u>द्वितीय सोमवार</u>– प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक संस्थाएँ एवं मानवाधिकार (पुलिस, सामान्य प्रशासन, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय, सहकारी संस्थाएँ (पैक्स) आदि) से संबधित विषयों पर सुझाव। इन विषयों से संबंधित सामान्य प्रशासन, पुलिस, गृह, निगरानी, पंचायती राज, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध, वाणिज्यकर, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भूतत्व, परिवहन, आपदा प्रबंधन विभागों के माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव / सचिव उपस्थित रहेंगे।

(iii) <u>तृतीय सोमवार</u>– सामाजिक प्रक्षेत्र (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण आदि) से संबंधित विषयो पर सुझाव। इन विषयों से संबधित स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम संसाधन, ग्रामीण विकास (जीविका), कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, कला संस्कृति, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास, पर्यावरण एवं वन विभाग विषयों पर सुझाव। इन विषयों से संबंधित विभागों के माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव / सचिव उपस्थित रहेंगे।

प्रकिया :

1. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से उक्त कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा लोकहित से जुड़े सुझाव पत्रों को ऑनलाइन (website) अथवा डाक से प्राप्त कर निबंधित करने की व्यवस्था की जाएगी।
2. कार्यक्रम हेतु निबंधित सुझाव पत्रों में से विषयवार चुने गये अधिकतम 50 (पचास) लोकहित से जुड़े सुझाव पत्रों को संबंधित सोमवार के संवाद कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। शेष चयनित सुझाव पत्रों को अगले विषयवार निर्धारित सोमवार के लिए अग्रसारित्त कर दिया जाएगा। समरूप सुझाव प्राप्त होने पर आवेदकों को एक साथ आमंत्रित किया जायेगा। यदि पूर्व में समरूप सुझाव प्राप्त होकर विचाराधीन हैं तो आवेदक को तदनुसार सूचित किया जायेगा।
3. ऑनलाइन अथवा डाक से प्राप्त सुझाव पत्र के द्वारा लोकहित से जुड़े सुझावों को अधिकतम 200 (दो सौ) शब्दों में ही देना होगा।
4. कार्यक्रम में चयनित व्यक्तियों को एस0एम0एस0 / ई0 मेल / दूरभाष के माध्यम से सूचना देकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जायेगा। कार्यक्रम हेतु चयनित व्यक्तियों को ही कार्यक्रम आयोजन के दिन एक यूनिक निबंधन कोड / संख्या के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।
5. आवेदक को लोकहित से जुड़े सुझाव (ऑनलाइन अथवा डाक से) दर्ज कराते समय अपना पूर्ण पत्राचार का पता, मोबाइल / दूरभाष संख्या एवं पहचान पत्र (वोटर आई0डी0 / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट इत्यादि) की संख्या, ई0 मेल (अगर हो) में दर्ज करना होगा।
6. आवेदक द्वारा ऑनलाइन अथवा डाक से प्रेषित लोकहित से जुड़े सुझाव के विषय के अनुसार उन्हें निर्धारित सोमवार को आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक अपना मूल सुझाव पत्र को भी साथ लेकर आएँगे, जो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
7. उपर्युक्त कार्यक्रम हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है एवं डाक से प्रेषित लोकहित से जुड़े सुझावों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में संधारित किया जायेगा। कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव पत्रों को स्टेट डाटा सेंटर / राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पटना इकाई के सर्वर से संचालित कराया जायेगा।

—003.jpg

लोकहित से प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जिसके सफल आयोजन हेतु मुख्यमंत्री सचिवालय में "लोक संवाद कार्यक्रम" कोषांग का गठन किया गया है । कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, श्री राकेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी तथा वरीय प्रभारी पदाधिकारी, श्री हेमन्त नाथ देव, अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना होंगे ।

ह0/–

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 44/2112(लो०सं०)/मु0मं0स0, पटना दिनांक – 23.11.2016

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/11/16
(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।